राजस्व निगरानी प्रकरण क्र.   /2017

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/4021   (14)

श्रीमती दमयंतीबाई पति रामलाल कुशवाह
निवासी राजनगर, सेक्टर एफ, म.नं. 80,
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर   —— प्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री रवि महेरा
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 12-10-2017
को प्रस्तुत।
760
12-10-2017
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्ध

1— महावीर पिता रामदीन कुशवाह,
2— बृजलाल पिता रामदीप कुशवाह,
3— मोहनलाल पिता रामदीन कुशवाह
4— रामपाल पिता रामदीन कुशवाह
5— रामलाल पिता रामदीन कुशवाह
सभी निवासी राजनगर, सेक्टर एफ, म.नं. 80,
ज्योति आटा चक्की के पास, इन्दौर
6— जगरूप पिता रामदीन कुशवाह मृतक तर्फे वारिस —
अ— श्रीमती जानकीपति जगरूप कुशवाह
निवासी — 178—एफ, राजनगर, इन्दौर
ब— सुनील पिता स्व. जगरूप कुशवाह
निवासी — 178—एफ, राजनगर, इन्दौर
स— श्रीमती ममता पति मोहन कुशवाह
निवासी 211, धीरज नगर, कलाली के पास
इन्दौर
द— विनोद पिता स्व. जगरूप कुशवाह
निवासी — 178—एफ, राजनगर, इन्दौर —— प्रतिप्रार्थीगण

वाद नामांतरण बाबद

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता के तहत

श्री तहसीलदार सांवेर, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 5 अ—6/2013—14 में पारित प्रोसिडिंग आदेश दिनांक 30.08.2017 व दिनांक 06.10.2017 से असंतुष्ट एवं दुखित

अ.कि. दमयंतीबाई

अविरत....2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 4021

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–11–2017	आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30–8–17 एवं 6–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत 16(1) का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि प्रकरण में आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है, अतः अब अन्य साक्षियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है । तहसील न्यायालय के उक्त निष्कर्ष में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है एवं आदेशिका दिनांक 6–10–17 में तहसील न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे इस निगरानी में हस्तक्षेप किया जाये । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	